

Joint Committee Inspection Report

In the Matter of

NGT OA No. 128/2025 (CZ)
(Abdul Rehman Banthiya Vs State of Madhya Pradesh & Ors.)

w.r.t.

Hon'ble NGT (CZ) Bhopal Bench
Order dated 17.09.2025

Date of Visit: 16 October 2025

Location: Gulmohar Colony Phase-II, located at Khasra No. 885, Village
Khandwa, Tarfe Kumbi, Tehsil & District Khandwa

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL
Original Application No. 128/2025(CZ)

IN THE MATTER OF: -

Abdul Rehman Banthiya.

Applicant (s)

Vs.

State of Madhya Pradesh & Ors.

Respondent(s)

INDEX

Sr.	PARTICULAR	ANNEXURE	Page No.
1.	Joint Committee Report		1-9
2.	Panchnama Dated 16.10.2025	Annexure-1	10
3.	Google map of the Colony	Annexure-2	11
5.	Photographs of site visit	Annexure-3	12
5.	Office of Nagar Palika Nigam Khandwa Reply Letter Dated 30.10.2025	Annexure-4	13
6.	TNCP Khandwa Permission letter Dated 31.12.2020	Annexure-5	14-17
7	TNCP Khandwa for Time Extension letter Dated 29.12.2023	Annexure-6	18
8	TNCP Khandwa letter Dated 23.08.2024	Annexure-7	19-20
9	Nagar palika Nigam Khandwa Permission letter Dated 07.05.2024	Annexure-8	21-22
10	Nagar Palika Nigam Khandwa letter Dated 29.08.2025	Annexure-9	23
11	TNCP Khandwa letter no. 426/22-एल.ओ./नग नि/2020/2025ए दिनांक 30/09/2025	Annexure-10	24-25
12	Nagar Palika Nigam Khandwa letter no. ज.का.उ. वि/काला नी/2025/100 खण्डवा, दिनांक 06/10/2025	Annexure- 11	26-27
13	Nagar Palika Nigam, Khandwa letter no. ज.का.उ वि/काला नी/2025/101 खण्डवा, दिनांक 13/10/2025	Annexure-12	28
14	Copy of Hon'ble High Court, Principal Bench, Jabalpur Passed order dated 30.10.2025	Annexure-17	29-30
15	Copy of letter from the (SDM), (Revenue Department), Khandwa, vide their letter no. 4497, dated 10/11/2025	Annexure-18	31-38
16	Proof of Service		

Place: BHOPAL

FILED BY MPPCB

Date: 12.11.2025



ADV PARUL BHADORIA

Advocate for MPPCB

Ph.No.:(+91)-8085977111;

Email:parul.bhadoria04@gmail.com

Joint Inspection Report

Joint Inspection Report in the matter of Hon'ble NGT OA No. 128/2025 (CZ) (Abdul Rehman Banthiya Vs State of Madhya Pradesh & Ors.) in compliance of the Hon'ble NGT directions dated 17/09/2025

Hon'ble NGT Central Zone Bench, Bhopal vide its Order dated 17.09.2025 in O.A. No. 128/2025 (CZ) Abdul Rehman Banthiya Vs State of Madhya Pradesh & Ors. directed as under :

1. *Issue raised in this application is the illegal and unregulated construction activities being carried out by Respondent No. 5 on the banks of the Abna River in District Khandwa, Madhya Pradesh damaging the ecological and hydrological asset of the region.*

2. *The Abna River has historically served as a primary source of water for domestic use, irrigation, and for sustaining aquatic biodiversity and ecological balance in the city of Khandwa. In 1988, portions of Khasra Nos. 885 and 912/2 were diverted for residential purposes. Subsequently, a part of the diverted land was sold to Respondent No. 5, who obtained permission on 31.12.2020 from Respondent No. 4 for the development of a new residential colony. While submitting the layout plan, Respondent No. 5 deliberately misrepresented the geographical situation of the land by depicting the adjoining boundary as "Other Land" instead of the Abna River, thereby concealing the ecological sensitivity of the site and misleading the regulatory authority. In reality, the colony is being developed directly on the riverside area of the Abna River, causing encroachment on the riverbank, obstruction of natural drainage, and disturbance of the riverine ecosystem. These construction activities are in blatant violation of environmental safeguards, buffer zone norms, and binding directions of the Hon'ble Tribunal, which strictly prohibit construction on floodplains and within eco-sensitive zones adjoining rivers. Despite repeated complaints and representations made by the Applicant, the statutory authorities have failed to take any effective action against Respondent No. 5. The inaction of the authorities amounts to abdication of their statutory duties and is contrary to the principles of sustainable development, precautionary principle. The ongoing activities pose an imminent risk of obstruction of natural river flow, especially during rainfall, leading to flooding, soil erosion, and irreparable ecological damage. Unless restrained, the illegal construction will permanently alter the*

ecology of the Abna River, threaten aquatic biodiversity, and degrade the environmental health of the Khandwa region, thereby violating the fundamental right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution of India.

6. *We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-*
- i. *One representative from District Collector, Khandwa, Madhya Pradesh.*
 - ii. *One representative from State Pollution Control Board, M.P.*
7. *The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*

In compliance of aforesaid directions of the Hon'ble NGT, following Officers have been nominated from the concerned departments to visit the site and submit factual and action taken report:

1	One representative from the Madhya Pradesh Pollution Control Board	Shri Ankit Baghel Assistant Engineer Regional Office, M.P.P.C.B, Indore
2	Representative of Collector Khandwa	Shri S.R. Sitole, Deputy Commissioner (Finance) Commissioner Officer Nagar Palika Nigam, Khandwa

Following Officers have visited the site Gulmohar Colony Phase-II, located at Khasra No. 885, Village Khandwa, Tarfe Kumbi, Tehsil & District Khandwa on dated 16/10/2025:-

1. Shri Ankit Baghel, Assistant Engineer, Regional Office, MPPCB, Indore
2. Shri. R.S. Upadhyaya, E.E. Nagar Palika Nigam Khandwa
3. Shri Rakesh Lalit, Law Officer, Nagar Palika Nigam Khandwa

Issues raised by the Petitioner in the Application:

1. The territorial limits of City Khandwa, there exists a prominent river known as

the “Abna River”. The said river constitutes a primary hydrological feature of the region and functions as a critical ecological and environmental asset. The Abna River, being a natural formation, has historically served as an indispensable source of water for domestic use, agricultural irrigation, and for sustaining the ecological balance in and around the city of Khandwa.

2. In the year 1988, land bearing Khasra No. 885 and 912/2 situated at Tehsil and District Khandwa, having a total area of 37.38 acres, was partially diverted for residential purpose. Out of the said land permission for use of 15 acres was granted by Respondent No. 2 in favour of a Colonizer namely Jai Bharat Udyog for the development and construction of a residential colony under the name and style of “Gulmohar Colony” at Tehsil and District Khandwa.
3. The aforesaid 15 acres of land permitted for the development of the said residential colony, 15% of the area constituted land reserved for slum clearance (गंदी बस्ती उन्मुलन). Subsequently, vide Letter No. 2044/2008 dated 03.09.2008 issued by the Respondent No.1, the said portion of land was released from such reservation and made available through the aforesaid order.
4. That out of the remaining 15% portion, an extent of 3.00 acres (i.e. 1.20 hectares) was sold by Jai Bharat Udyog to Respondent No. 5 dated on 15/09/2009. The said property is situated at Village Khandwa, Khandwa towards Kunbi, Tehsil Khandwa, District East Nimar, within Patwari Halka No. 57 (new 60), comprising part of Khasra Nos. 912/2 and 885. The said land stood diverted as per Diversion Sheet No. 33, being part of old Plot No. 03 and new Plot No. 02, under Sarojini Naidu Ward No. 09, in the newly developed locality Gulmohar Colony, behind Sector-3 Khandwa. Out of the total area of 27.70 acres, this parcel forms part of the 4.16 acres of land originally reserved for slum clearance in Sector-2 and Sector-3, of which the aforesaid 3.00 acres forms an integral part of Khasra No. 885.
5. That on 31.12.2020, Respondent No. 5 was granted permission by Respondent No. 4 for the development of a residential colony named Gulmohar Phase-II over land bearing Khasra No. 885, admeasuring a total area of 1.215 hectares.
6. That as per that as per the proposed layout plan submitted by Respondent No.5 to Respondent No.4, it has been shown that the proposed Residential Colony will be adjoining to the portion of land described as “Other Land” in the said plan.

7. That the Respondent No.5 started construction and in actuality, the geographical situation of the site is altogether different, as the “Abna River” directly adjoins the land where the colony is presently developing. Thus, instead of “Other Land,” it is the natural river boundary of “Abna River” which is adjoining to the site. This fact demonstrates that the layout plan submitted by Respondent No.5 does not depict the true and correct position of the land, and by misrepresenting the same, Respondent No.5 has attempted to conceal the presence of the Abna River adjoining the project site.
8. That aggrieved by the illegal and arbitrary conduct of Respondent No. 5, the Applicant has filed written representations and complaints before the concerned Respondents, However, despite repeated approaches and communications, no effective, timely, or lawful action has been taken by the Respondents against Respondent No. 5.
9. That presently, Respondent No. 5 is carrying out construction activities for the said colony on the riverside area adjoining the Abna River. Such unregulated and indiscriminate development is causing serious and irreparable damage to the ecology and natural flow of the Abna River. The construction activities involve alteration of the riverine ecosystem, obstruction of natural drainage, and encroachment upon the riverbank, thereby adversely affecting the ecological balance, aquatic biodiversity, and the environmental health of the region.
10. That the Government Authorities are fully aware of the construction activities being conducted by the Respondent No.5. Despite having due knowledge of such violation and the consequent ecological degradation, the Respondents have failed to initiate any effective or coercive action against the Respondent No.5. The inaction of the Government authorities amounts to a serious abdication of statutory duty and is violative of the principles of environmental governance. Hence, the present Original Application is being filed on the following, amongst other, grounds.

Observations:

Following Observations has been submitted here with:

1. The Joint Committee has inspected the site Gulmohar Colony Phase-II, Khasra No. 885, Village Khandwa, Tarfe Kumbi, Tehsil & District-Khandwa (M.P.) on dated 16.10.2025. Panchnama prepared at site is attached as **Annexure-1**.

2. The Joint Committee has observed that no construction activity is currently taking place at the above location site, as all permissions and construction activities have been temporarily suspended by the concerned departments. (i.e., Nagar Palika Nigam Khandwa & TNCP Khandwa). Google Map of the area and photographs of site are enclosed as **Annexure-2 & 3.**
3. As per the reply submitted by Nagar Palika Nigam Khandwa vide their letter no. 109, dated 30/10/2025, Copy of reply is attached as **Annexure-4.** It is stated that:-
- (i) The Town & Country Planning Khandwa granted the permission through vide letter no. 1359-1364/22-एल-ओ/नग्रानि/2020 खण्डवा दिनांक 31/12/2020, 636 Khandwa Dated 29.12.2023 & 417, Dated 23.08.2024 to Gulmohar Colony, near the Abna River at Ward No. 5, Khandwa a residential area measuring 1,215 square meters (12,150 square feet) has been developed by M/s. Kaveri Ex Oil Pvt. Ltd. Copy of the letter is enclosed as **Annexure-5,6,7.**
- (ii) On the basis of the permission and map approved by Town & Country Planning Khandwa. Nagar Palika Nigam Khandwa has approved the permission for Colony Development Permission through vide letter no. 49/48, Dated 07.05.2024 for construction of the above residential plot colony. Copy of the permission is enclosed as **Annexure-8.**
- (iii) The colonizer was carrying out construction of the colony on the above land. Public complaint is pending regarding the construction of boundary wall near the river by the colonizer. For demarcation of the above land, Nagar Palika Nigam Khandwa had issued letter to Tehsildar Khandwa through vide letter no. ज.का.उ.वि./कॉलोनी/2025/85 खण्डवा Dated 29/08/2025, the reply from Tehsildar has not been received. Copy of the letter is enclosed as **Annexure-9.** News regarding the illegal construction of the above-mentioned colony has also been published in Newspaper & TL complaints are also pending in the collector office. A petition has also been filled against the above mentioned colony before the Hon'ble National Green Tribunal (NGT).
- (iv) On the basis of the above, Town and country planning, Khandwa issued

directions vide letter no. 426/22-एल.ओ./नग्रानि/2020/2025, दिनांक 30/09/2025 regarding temporarily suspended the development permit (TNCP letter Dated 31.12.2020) Therefore, Any activity related to construction, purchase, sale, or plotting on the said land will remain prohibited. Copy of the letter is enclosed as **Annexure-10**. According to the order : -

- i. TNCP has been observed that the boundary of the land has been incorrectly represented by the applicant/landowner/authorized person. The layout plan indicates vacant land on the eastern side, whereas, as per the revenue records and actual site conditions, the Abna River exists in that direction. Consequently, in violation of Rule 50(b) of the Madhya Pradesh Land Development Rules, 2012, the mandatory 15.0-meter open land reserve from the highest flood level of the river has not been maintained, resulting in unauthorized use of the river buffer zone.*
- ii. Further, it has been observed that the south-eastern portion of the said land, which was declared as reserved for future development, now exhibits construction activity adjacent to the river boundary. As per Rule 50(b) of the Madhya Pradesh Land Development Rules, 2012, it is mandatory to keep land up to 15.0 meters from the highest flood level of the river open and unused. Therefore, the construction activity carried out at the site is in violation of the approved layout plan and constitutes unauthorized development.*
- iii. Furthermore, it has been established that while obtaining development permission, the colonizer concealed essential facts and misrepresented information before the Town and Country Planning Department. The colonizer had earlier extended the validity of the approved permission by one year in 2023; however, since no construction was initiated during that period, a fresh application was submitted under Section 29(1) of the Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973 on 15/04/2024 through online case No. KDWLP08042408103. Upon review through the GIS system, the said case was rejected on 30/04/2024 due to non-compliance with the required distance from the river.*
- iv. In light of the above facts, proceedings are proposed to revoke the colonizer's development permission under Section 30 of the Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973, read with Rule 25 of the Madhya Pradesh Land Development Rules, 2012.*

- (v) In continuation of the above, Nagar Palika Nigam Khandwa has also issued directions vide letter no. ज.का.उ.वि/कालोनी/2025/100 खण्डवा, दिनांक 06/10/2025, for the Temporary suspension of the colony development permit no. 49/48, Dated 07.05.2024 until a final decision is taken upon the ongoing investigation. During this period, any construction, purchase, sale, plotting, etc. On the said land will be prohibited. Copy of the letter is enclosed as **Annexure-11.**
4. Furthermore, Nagar Palika Nigam, Khandwa Office, vide letter ज.का.उ. वि/कालोनी/2025/101 खण्डवा, दिनांक 13/10/2025, has directed to immediately discontinue all development works being carried out on the aforesaid land and to remove the wall constructed in violation of rules within the river catchment area at colonizer expense. Failing compliance, the Municipal Administration shall remove the said wall, and all expenses incurred thereon will be recovered from Colonizer. Copy of the letter is enclosed as **Annexure-12.**
5. Petition No. WP/42023/2025, (M/s. Kaveri Ex Oil Private Limited Vs The State of Madhya Pradesh and Others), has been filed by the colonizer before the Hon'ble High Court, Principal Bench, Jabalpur, against Letter No. ज.का.उ.वि/कालोनी/2025/101 खण्डवा, दिनांक 13/10/2025, issued by the Nagar Palika Nigam, Khandwa. Copy of the Hon'ble court order is enclosed as **Annexure-13.** The relevant portion of the interim order passed in the said petition on 30.10.2025, which is to be implemented, are as follows –

"Considering the aforesaid and the threat pointed out by the petitioner's counsel, no coercive action in pursuance to the impugned notice be taken against the petitioner, till the next date of hearing."

6. The letter from the Sub-Divisional Officer, (Revenue Department), Khandwa, vide their letter no. 4497, dated 10/11/2025 is hereby presented for your perusal and necessary consideration. Copy of reply is attached as **Annexure-14.** It is stated that:-

The land in question pertains to Khasra No. 885/1/2, measuring 1.20 hectares (approx. 130,680 sq. ft.), situated in Village Khandwa (Kunvi side). It is converted land as per revenue records, shown under Sheet No. 33, Plot No. 02, and is registered in the name of M/s Kaveri Ex Oil Pvt. Ltd., Khandwa, through its Director Shri Satyanarayan S/o Harikishan Maheshwari, resident of Ramganj, Khandwa.

According to the Patwari Khasra records:

1. Khasra No. 885/1/1, area 8.387 hectares, is recorded in the name of M/s Jai Bharat Udyog, Partner Rajesh S/o Madanlal & others.
2. Khasra No. 885/1/2, area 1.200 hectares, is recorded in the name of M/s Kaveri Ex Oil Pvt. Ltd., Director Satyanarayan S/o Harikishan Maheshwari.
3. Khasra No. 885/2, area 0.405 hectares, is recorded in the name of M/s Jai Bharat Udyog, Partner Hastimal S/o Jethamal & others.

As per the approved plan of TNCP, dated 27.07.1992, the land falls within the reserved slum area (4.16 acres) of Gulmohar Colony. Out of this, the present land (Khasra No. 885/1/2) corresponds to approximately 3.00 acres of the said slum area. It was purchased by M/s Kaveri Ex Oil Pvt. Ltd. through registered sale deed dated 15.09.2009. As per the boundaries mentioned in the registry: North – Gulmohar Colony Sector-3, South – Remaining part of Khasra No. 885, East – River (Government land), West – Government land. The construction was found within the boundaries of Khasra No. 885/1/2. As per the online revenue map, Khasra No. 885/2 (owned by Jai Bharat Udyog) lies to the south of the land in question. The land is triangular in shape, bounded by the river on the east and Gulmohar Colony Sector-3 on the north.

Action Taken Report :

1. Deputy Director, Town and country planning, Khandwa issued directions vide letter no. 426/22-एल.ओ./नगानि/2020/2025, दिनांक 30/09/2025 regarding temporarily suspending the above-mentioned permit and prohibited any construction, sale, purchase, plotting etc. On the said land.
2. Following the TNCP's directions, Nagar Palika Nigam Khandwa also suspended Colony Development Permission No. 49/48 (dated 07.05.2024) through its letter dated 06.10.2025 & 13.10.2025, until the final outcome of the investigation.

Conclusion:

1. In response to public complaints and environmental concerns, both the Town and Country Planning Department and Nagar Palika Nigam Khandwa have temporarily suspended all the activities related to the Gulmohar Colony project pending final investigation and decisions.
2. The Joint Committee has observed that no construction activity is currently taking place at the above location site, as all permissions and construction activities have been temporarily suspended by the concerned department.

3. In view of the interim order dated 30.10.2025 passed by the Hon'ble High Court, Principal Bench, Jabalpur, in W.P. No. 42023/2025 (M/s. Kaveri Ex Oil Private Limited vs. State of Madhya Pradesh and Others), no coercive action shall be taken against the petitioner in pursuance of the impugned notice of Nagar Palika Nigam Khandwa dated 13.10.2025, until further orders or the next date of hearing. Accordingly, compliance with the Hon'ble Court's directions is being ensured.
4. As per Revenue Department Khandwa records, the land in question, Khasra No. 885/1/2, area 1.20 hectares (Sheet No. 33, Plot No. 02), is converted land situated in Village Khandwa (Kumbi side) and registered in the name of M/s Kaveri Ex Oil Pvt. Ltd., Director Satyanarayan S/o Harikishan Maheshwari. It forms part of 4.16 acres of the reserved slum area of Gulmohar Colony as per the approved plan dated 27.07.1992 and was purchased through a registered deed on 15.09.2009. The site construction lies within Khasra No. 885/1/2, which is triangular in shape, bounded by Gulmohar Colony Sector-3 to the north, a river to the east, government land to the west, and Khasra No. 885 to the south.

Photographs taken during visit may be observed which are included in the report.

Enclosures: As above.



Ankit Baghel
Assistant Engineer,
M.P. Pollution Control Board, Indore




Shri S.R. Sitole,
Deputy Commissioner (Finance)
Commissioner Officer
Nagar Nigam, Khandwa


पंचनामा
— 0 —


16/10/25


माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली अधिवेशन
सेनाध्यक्ष जनरल नरेश अग्रवाल द्वारा पत्राचार क्रमांक
128/2025 (संयुक्त सहमान वनविद्या विस्तार क्र. 50
अ व क्र. 5) से पारित आदेश दिनांक 17/2/2025
के अनुपालन से आज दिनांक 16/10/2025 को
दोहाहस्ताक्षरकारिता द्वारा संसद नं. 202 885
कायम श्रेष्ठता तदनुषंगी नदरील श्रेष्ठता दिनांक
श्रेष्ठता से विभागाध्यक्ष से आवासीय कुलमोहुर
जालीनी क्र. 2 का विहीनता जिशा बाया भाग
स्थल पंचनामा सर्वके सामने लैयातु जिशा गया।


पंचनामा जालीनी नदरील

1. 
अनिल कुमार


2. 
अनिल कुमार



- 16/10/25
(आ. ल. कुलमोहुर
या सर्व पंचनामा)



अनिल कुमार
संयुक्त वनी
म. प्र. प्रति. बो. अर्जेंट


2. 
अनिल कुमार

3.


S.B. Sharma


कलम
SIE


नरेशकुमार
निदेशक


अ. न.
अ. न.

Google Map of Gulmohar Colony



Gulmohar Colony
Phase –II Khasra
No. 885, Village
Khandwa, Taarfe
Kumbi, Tehsil &
District Khandwa





कार्यालय नगर पालिक निगम Annexure-4

क्रमांक/ज.का.उ.वि./कालोनी/2025/109

खण्डवा, दिनांक 30/10/2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
इन्दौर

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 128/2025 (CZ) (अब्दुल रहमान बांठिया विरुद्ध म.प्र.शासन व अन्य) मे दिनांक 17.09.2025 को पारित आदेश के अनुपालन मे।
संदर्भ :- क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पत्र क्रमांक 3529/क्षेकाई/2025, इन्दौर दिनांक 23/10/2025

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत पंधाना रोड खण्डवा स्थित आबना नदी के ब्रिज के पास गुलमोहर कालोनी रकबा 1.215 हेक्टेयर (12150 मीटर) भूमि पर कॉलोनाइजर एवं भूमि स्वामी फर्म मेसर्स कावेरी एक्सआईल प्राइवेट लिमिटेड खण्डवा द्वारा कार्यालय उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश के पत्र क्रमांक 1359-1364/22-एल-ओ/नग्रानि/2020 खण्डवा दिनांक 31/12/2020 एवं 636 खण्डवा दिनांक 29/12/2023 तथा 417 दिनांक 23/08/2024 के द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा एवं मानचित्र के आधार पर इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त भूमि पर आवासीय भूखण्डीय कालोनी निर्माण करने की कालोनी विकास अनुमति क्रमांक 49/48 खण्डवा दिनांक 07/05/2024 को जारी की गई है। कॉलोनाइजर द्वारा उपरोक्त भूमि पर कालोनी का निर्माण कार्य किया जा रहा था। कॉलोनाइजर द्वारा नदी के समीप बाउंड्रीवाल का निर्माण किये जाने संबंध में जन शिकायतें निराकरण हेतु लंबित है। उपरोक्त भूमि के सीमांकन हेतु कार्यालय तहसीलदार खण्डवा को इस कार्यालय का पत्र क्रमांक ज.का.उ.वि./कालोनी/2025/85 खण्डवा दिनांक 29/08/2025 को प्रेषित किया गया जिसका प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है एवं उपरोक्त कॉलोनी के निर्माण के संबंध में समाचार पत्रों में भी समाचार प्रकाशित हो चुके है तथा कार्यालय कलेक्टर के यहां पर भी टीएल में शिकायतें लंबित है एवं उपरोक्त कालोनी के विरुद्ध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में भी याचिका प्रस्तुत की गई है। उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय खण्डवा के पत्र क्रमांक 22-एल-ओ/नग्रानि/2020/2025/426 खण्डवा दिनांक 30/09/2025 के द्वारा उपरोक्त जारी अनुज्ञा को अस्थायी रूप से स्थगित कर उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य क्रय-विक्रय प्लॉटिंग आदि निषेध किये जाने हेतु इस कार्यालय को पत्र प्राप्त हुआ है। जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ज.का.उ.वि./कालोनी/2025/100 खण्डवा दिनांक 06/10/2025 जारी कर जब तक जांच विषय में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक कालोनी विकास अनुमति क्रमांक 49/48 दिनांक 07/05/2024 अस्थायी रूप से स्थगित की गई। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण क्रय विक्रय प्लॉटिंग आदि निषेध रहेगा।

अतः संदर्भित पत्र के माध्यम से चाहा गया प्रतिवेदन एवं सलग्न सुसंगत दस्तावेजों की छायाप्रति आपकी ओर प्रेषित।


उपायुक्त
नगर पालिक निगम खण्डवा

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर महोदय, जिला खण्डवा की ओर सादर सूचनार्थ।
3. उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश खण्डवा।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खण्डवा।

उपायुक्त
नगर पालिक निगम खण्डवा

00
00

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय, खण्डवा एवं बुरहानपुर म0प्र0

दूरभाष : 0733-2223404



पता - तहसील कार्यालय के बालू में प्राकृतिक सैंडिन (कलेक्ट्रेट परिसर) खण्डवा - 450001

क्रमांक / 1359
प्रति

22-एल.ओ. / नग्रानि / 2020

खण्डवा, दिनांक 31/12/2020

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
खण्डवा।

विषय:- एकल डोर प्रणाली के माध्यम से धारा-29 के तहत ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी तह0 एवं जिला खण्डवा की भूमि ख. क्रं. 885 परिवर्तित भूमि शीट नं. 33 प्लॉट नं. 2 रकबा 1.215 हेक्टेयर (12150.00 वर्गमीटर) वर्गमीटर भूमि पर आवासीय भू-खण्डीय (कॉलोनी) प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा प्रदाय करने बाबत।

- संदर्भ:- 1. आपका एकल डोर प्रणाली के तहत आवेदन पत्र क्र 429/ जकाउवि / कॉलोनी / 2019/ खण्डवा दिनांक 05.08.2019
2. आवेदक का धारा-29(1) के अधीन मूल आवेदन दिनांक 23.03.2020 इस कार्यालय का आवक क्रमांक 341 दिनांक 23.03.2020
3. सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 29.09.2020
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र क्र AX252958 दिनांक 20.03.2020

-000-

उपरोक्त विषयान्तर्गत एकल डोर प्रणाली के माध्यम से धारा-29 के तहत ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी तह0 एवं जिला खण्डवा की भूमि ख. क्रं. 885 परिवर्तित भूमि शीट नं. 33 प्लॉट नं. 2 रकबा 1.215 हेक्टेयर (12150.00 वर्गमीटर) वर्गमीटर भूमि पर आवासीय भू-खण्डीय (कॉलोनी) प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा चाही गई है।

प्रकरण का नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों/प्रावधानों एवं खण्डवा विकास योजना 2031 के अन्तर्गत प्रकरण का परीक्षण किया गया। विकास कर्ता/भू-स्वामी को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) के अधीन आवासीय भू-खण्डीय (कॉलोनी) प्रयोजन हेतु विकास की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

- निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना यदि आवश्यक हो तो :-
 - अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खण्डवा
 - मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 एवं तत्संबंधित नियम
 - मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन एवं शर्तों) नियम 1998
 - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी इन्वारमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट (EIA) नोटिफिकेशन, 2006 (यदि प्रोजेक्ट अनुसार आवश्यक हो तो)
 - मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल/इन्दौर (यदि प्रोजेक्ट अनुसार आवश्यक हो तो)
 - भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) RERA
 - आर्कलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया/पुरातत्व विभाग, खण्डवा /भोपाल म0प्र0
 - नजूल अधिकारी खण्डवा
 - भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय खण्डवा
 - मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल खण्डवा
 - लोक निर्माण विभाग खण्डवा (मार्ग के कार्यक्षेत्र से संबंधित)

निरंतर.....

Khandwa /2020 /L.O.



14 म निवेश, खण्डवा

2. प्रश्नाधीन प्रकरण ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी खण्डवा जिले की विकास योजना में सम्मिलित होने की स्थिति में प्रकरण का परीक्षण खण्डवा विकास योजना 2031 एवं म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियमों से परीक्षण किया गया है। इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उपविभाजन मान्य नहीं होगा।
3. पूर्व अनुमोदित कॉलोनी के पहुँच मार्गों की निरंतरता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
4. प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में दर्शाये अनुरार कुल क्षेत्रफल 12150.00 वर्गमीटर, सामान्य प्लॉट क्षेत्रफल 6348.67 वर्गमीटर (52.26 प्रतिशत), EWS एवं LIG प्लॉट का क्षेत्रफल 508.77 वर्गमीटर, खुला/गार्डन क्षेत्रफल 1215.00(10 प्रतिशत) वर्गमीटर, सर्विस क्षेत्रफल 182.25 (1.5 प्रतिशत), एवं रोड़ क्षेत्रफल 3895.21 वर्गमीटर (32.06 प्रतिशत) ही रखना अनिवार्य होगा।
5. प्रस्तावित अभिन्यास के अनुसार खुला क्षेत्र 10.00 प्रतिशत मानचित्रानुसार रखना अनिवार्य होगा।
6. अनुमोदित मानचित्र अनुसार कालोनी में कुल 87 प्लॉट (सामान्य 75 E.W.S. 07 L.I.G. 05) ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भू-खण्डों का उप-विभाजन मान्य नहीं होगा।
7. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र क्र. AX252958 दिनांक 20.03.2020 द्वारा म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 नियम 10 एवं राजपत्र दिनांक 19.04.2012 अद्यतन संशोधन नियम 10(1) के प्रावधानों अनुसार आवासीय कॉलोनी में कालोनाईजर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं निम्न आय वर्गों के लिए उतनी ही संख्या में भू-खण्ड विकसित करेगा जो उस कॉलोनी में अन्य आय वर्गों के लिए विकसित किए गये भू-खण्डों के 15 प्रतिशत के बराबर भू-खण्ड छोड़े जाने का विकल्प का चयन किया गया है जिसका निराकरण नियमानुसार प्रक्रिया द्वारा नगर पालिक निगम खण्डवा के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के परिपेक्ष्य में आवेदन शुल्क रूपये 10000/- चालान क्र. 02171041 दिनांक 19.02.2020 द्वारा एवं नियम 21(3) (क) के अनुसार विकास अनुज्ञा शुल्क 31250/- चालान क्र. 02171182 दिनांक 22.10.2020 द्वारा जमा किये गये वे अंतिम सत्यापन के अध्यक्षीन हैं। यदि आपके द्वारा जमा किये गये शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है, तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।
9. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
10. मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 एवं राजपत्र दिनांक 19.04.2012 अनुसार कॉलोनाईजर को नगर पालिक निगम क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र/नवीनीकरण प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
11. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने की दिनांक से 03 वर्ष तक की कलावधि तक प्रवृत्त रहेगी।
12. अनुमोदित अभिन्यास में अनुमोदित मानक खण्डवा विकास योजना 2031 के प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
13. प्रश्नाधीन भूमि/भू-खण्डों पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति इस कार्यालय को 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।
14. इस अनुज्ञा को भू-स्वामित्व का दस्तावेज ना समझा जावे। भवन अनुमति जारी करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी भूमि स्वामित्व संबंधी परीक्षण कर लिया जावे। इस संबंध में प्रस्तुत अनुबंध/पावर ऑफ अटार्नी/अधिकार पत्र इत्यादि की वैधानिकता का परीक्षण करने/कराने के उपरांत ही विकास/भवन अनुमति संबंधी स्थानीय संस्था द्वारा जारी किया जावे।
15. प्रश्नाधीन भूमि पर आवासीय कॉलोनी के विकास हेतु अनुमति आवेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट 29.09.2020 एवं खसरा मानचित्र के आधार पर प्रदाय की जा रही है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत खसरा बटांकन मानचित्र में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक एवं संबंधित तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक/ग्राम पटवारी की मानी जावेगी।
16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व विभाग की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 29.09.2020 अनुसार विकास कार्य करना अनिवार्य होगा।
17. अनुमोदित अभिन्यास की एक सत्यापित प्रति मय आदेशों के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा तथा अनुमोदित अभिन्यास से संबंधी जानकारी एक 1.5m×1.2m साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना आवश्यक होगा।



18. प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जावे एवं भू-खण्डों का समायोजन न किया जावे।
19. यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञापत उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।
20. किसी भी प्रकार का ठोस अवशिष्ट को परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
21. योजना में किचन एवं बाथरूम के पानी को हरित क्षेत्रों के रख-रखाव हेतु उपयोग में लाने की व्यवस्था की जावे।
22. प्रश्नाधीन स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखा जावे, जिन वृक्षों का काटना अत्यन्त आवश्यक हो उसके लिये नियमानुसार अनुमति कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना होगा।
23. भवन निर्माण से किसी भी निवासी के सुखाधिकार का हनन ना हो।
24. निर्माण कार्य भूकंप रोधी तकनीकी के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करना अनिवार्य होगा।
25. सामुदायिक सेवा/सुविधाओं इत्यादि के लिये पृथक से प्रावधान करना होगा।
26. वर्षा/छत के पानी की हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 (4) में दिये गये विकल्पों के अनुसार करना होगा। उसके पश्चात् ही भू-खण्ड पर विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा दिया जा सकेगा।
27. गार्डन हेतु आरक्षित भूमि से अतिरिक्त हार्वेस्टिंग प्रणाली का प्रयोजन किया जाना अनिवार्य होगा।
28. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम 67 के प्रावधान के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे। इसके साथ ही मध्यप्रदेश शासन के आदेश अनुसार पन्द्रह वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा, स्थल पर उपरोक्त मान के अनुसार वृक्षारोपण कर लिया गया हो तो यह सुनिश्चित किया जाने के पश्चात् ही भवन अनुज्ञा संबंधित नगर निगम एवं स्थानीय संस्था द्वारा दी जावे।
29. प्रश्नाधीन स्थल यदि किसी नाले/नदी से लगे होने की स्थिति में म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50(ख) अनुसार जल स्रोत/जल निकाय के उच्चतम स्तर से 9.00 मीटर एवं नदी के मामले में उच्चतम जल स्तर से 15.00 मीटर भूमि खुले के रूप में छोड़ना आवश्यक होगा, जिस पर निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा।
30. संलग्न अभिन्यास में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्ध न किया जावे। इसे मान्य न किया जावेगा।
31. प्रश्नाधीन स्थल पर अनुमोदित मानचित्र अनुसार निर्माण/विकास कार्य करने के पूर्व उक्त भूमि से कच्चा/अनाधिकृत विकास को हटाने/भूमि को समतल कर विकास कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।
32. भवन की विद्युत लाईनों से दूरी के संबंध में, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 52 अनुसार निम्न तथा मध्य वोल्टेज लाइनों तथा सेवा लाइनों से वर्टीकल रूप में 2.50 मीटर तथा हॉरीजेंटल रूप में 1.20 मीटर, 33000 वोल्टेज सम्मिलित करते हुए तथा उच्च वोल्टेज लाइनों से वर्टीकल रूप में 3.70 मीटर तथा हॉरी जॉटल रूप में 1.20 मीटर एवं 33000 वोल्ट से अधिक अतिरिक्त वोल्टेज लाईनों के पास स्थित भवनों के लिए 15.00 मीटर (मध्य रेखा के दोनों तरफ 7.50 मीटर खुला) या लागू विद्युत नियमों में विनिर्दिष्ट किए गये अनुसार, जो भी अधिक हो, उनका पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
33. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी इन्वारमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट (EIA) नोटिफिकेशन, 2006 में उल्लेखित प्रावधानों तहत भारत सरकार एवं मंत्रालय अथवा म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल से कोई अनुमति/अनापत्ति/अनुज्ञा आवश्यक हो तो उसे आवेदक को प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
34. संलग्न मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे।
35. अनुमोदित अभिन्यास की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना होगा।
36. आवेदक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास अनुसार ही विकास कार्य करेगा तथा स्वयं किसी भी प्रकार भू-खण्डों का उप विभाजन मार्ग एवं खुला क्षेत्र परिवर्तित नहीं करेगा।
37. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 में उल्लेखित नियमों का पालन करना एवं विधिवत् अनुमति/अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

निरंतर.....



...4...

38. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा विवाद होने पर या गलत जानकारी देने या ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन करने पर यह अनुमति म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के अंतर्गत रिटोक की जा सकेगी।

संलग्न:- मानचित्र।



(कयिता नागर)

उपसंचालक(प्र.)

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय, खण्डवा एवं बुरहानपुर

खण्डवा, दिनांक

पृ.क्रमांक/
प्रतिलिपि:-

/22-एल.ओ./नगानि/2020

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय अनुभाग जिला खण्डवा की ओर यह प्रति इस आशय के साथ प्रेषित है कि इस विकास अनुज्ञा के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. जिला-पंजीयक विभाग, कार्यालय खण्डवा की ओर यह प्रति इस आशय के साथ प्रेषित है कि इस विकास अनुज्ञा के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. अधीक्षण यंत्री, कार्यालय म0प्र0प0क्ष0वि0वि0कम्पी0लिमि0 खण्डवा की ओर यह प्रति इस आशय के साथ प्रेषित है कि इस विकास अनुज्ञा के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. तहसीलदार, तहसील कार्यालय खण्डवा जिला खण्डवा की ओर खसरा पांच साला के कॉलम-12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा उक्त खसरे का आवासीय भू-खण्डीय (कॉलोनी) हेतु साईट-प्लान मानचित्र स्वीकृत हो गया है" टीप अंकित करने कष्ट करें।
5. आवेदक मेसर्स कावेरी एक्स आईल प्रा.लि. खण्डवा डायरेक्टर सत्यनारायण माहेश्वरी पिता श्री हरिकिशन माहेश्वरी निवासी 29, रामकृष्णगंज खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संलग्न:-मानचित्र।

उपसंचालक(प्र.)

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय, खण्डवा एवं बुरहानपुर

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय, खण्डवा एवं बुरहानपुर म0प्र0



पता:-तहसील कार्यालय के बाजू में, सिविल लाईन (कलेक्ट्रेट परिसर) खंडवा - 450001

क्रमांक / 417 / 22-एल.ओ. / नग्रानि / 2024

खण्डवा दिनांक 23/08/2024

पति,

मेसर्स कावेरी एक्स आईल प्रा. लि. खण्डवा
डायरेक्टर सत्यनारायण माहेश्वरी पिता श्री हरिकिशन माहेश्वरी
निवासी - 29 रामकृष्णागंज खण्डवा जिला खण्डवा (म. प्र.)

विषय :- ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी तहसील व जिला खण्डवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 855 परिवर्तित शीट नम्बर 33 प्लॉट नम्बर 2 का रकबा 1.20 हैक्टेयर भूमि आवासीय भू-खण्डीय (कॉलोनी) प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ :- आवेदक का आवेदन दिनांक 23.08.2024.

.....X.....

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित आवेदन पत्र के ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी तहसील व जिला खण्डवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 855 परिवर्तित शीट नम्बर 33 प्लॉट नम्बर 2 का रकबा 1.215 हैक्टेयर भूमि आवासीय भू-खण्डीय (कॉलोनी) प्रयोजन हेतु विकास अनुज्ञा प्रदाय में त्रुटिसुधार किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

आवेदन पत्र में उल्लेखित एवं मूल नस्ती के संलग्न स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण से यह कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1359-1364/22-एल.ओ. / नग्रानि / 2020 खण्डवा दिनांक 31.12.2020 में त्रुटिवश ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी तहसील व जिला खण्डवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 855 परिवर्तित शीट नम्बर 33 प्लॉट नम्बर 2 का रकबा 1.215 हैक्टेयर एवं अनुमोदित मानचित्र में टंकित है। उक्त अनुमोदित मानचित्र एवं पत्र में भूमि सर्वे क्रमांक 855 परिवर्तित शीट नम्बर 33 प्लॉट नम्बर 2 का रकबा 1.215 हैक्टेयर के स्थान पर भूमि सर्वे क्रमांक 855 परिवर्तित शीट नम्बर 33 प्लॉट नम्बर 2 का रकबा 1.20 हैक्टेयर पढा जावे।

शेष शर्तें यथावत रहेगी। यह पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1359-1364/22-एल.ओ. / नग्रानि / 2020 खण्डवा दिनांक 31.12.2020 का सहपत्र माना जावे।


(गोपाल लाल वर्मा)

प्र. उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय खण्डवा (म. प्र.)

निरंतर2

//2//

पृ. क्रमांक /
प्रतिलिपि :-

/22-एल.ओ./नग्रानि/2024

खण्डवा दिनांक

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम खण्डवा जिला खण्डवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिला पंजीयक, जिला खण्डवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग खण्डवा जिला खण्डवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अधीकक्षण यंत्री, म. प्र. विद्युत वि. कं. लि. खण्डवा जिला खण्डवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

/-
(गोरेलाल वर्मा)

प्र. उप संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय खण्डवा (म. प्र.)



कार्यालय नगर पालिका खण्डवा

॥ पारूप - पॉच ॥

कालोनी विकास की अनुमति

दिनांक :- 07/05/2024

अनुमति क्रमांक 49/48

—:0000:—

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 और उसके अन्तर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निवर्धन तथा शर्तों) नियम 1998 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये कालोनाईजर मेसर्स कावेरी एक्सऑइल प्रा.लि. तर्फे श्री सत्यनारायण माहेश्वरी पता मं.नं. 29 माधव लाल लक्ष्मीनारायण रामकृष्णगंज बजरंग चौक, खण्डवा एवं भूमि स्वामी— मेसर्स कावेरी एक्सऑइल प्रा. लि तर्फे श्री सत्यनारायण माहेश्वरी, निवासी रामकृष्णगंज खण्डवा के द्वारा ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी के खसरा क्रमांक 885 परिवर्तित भूमि शीट नंबर 33, प्लॉट नंबर 02 कुल रकबा 1.20 हेक्टेयर भूमि पर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय खण्डवा से स्वीकृत अभिन्यास अनुसार आवासीय भूखंडीय (कॉलोनी) प्रयोजन हेतु निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति निम्न शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

- (शहरी भूमि अधिनियम) 1976 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।
- म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत भू-व्यापवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की दशा में अनुमति स्वमेव विरस्त मानी जावेगी।
- म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
- निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग के भूखण्डो/भावनों का विकास/निर्माण/आवंटन कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानों के तहत प्रथमतः करना होगा।

निरंतर.....02

//2//

- कालोनी ले-आउट डालने के पूर्व क्षेत्रीय निरीक्षक एवं पटवारी से भूमि का सीमांकन नगर निगम के उपयंत्रि की उपस्थिति में कराकर विकास कार्य प्रारंभ करने पर कार्यालय को अवगत कराना होगा।
 - प्रस्तावित स्थल/भूमि ग्रीन बेल्ट, पार्क एवं अन्य प्रयोजन हेतु आरक्षित होने पर कालोनी विकास अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
 - कालोनी का विकास कार्य स्वीकृत प्राक्कलन अनुसार करना होगा।
 - कालोनी हेतु अनुमोदित ले-आउट क्रमांक 1364 दिनांक 31/12/2020 के द्वारा विकास कार्य के लागत के 125 प्रतिशत राशि के बराबर भूखंड धरोहर के रूप में बंधक रखे गये हैं। जिनका क्रम निम्नानुसार है। भूखंड क्रमांक 22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,43 ,44 ,55 ,56 ,57 ,62 कुल 14 भूखंड जिनका कुल क्षेत्रफल 1775.41 वर्गमीटर है। बंधक रखे गये भूखण्ड मुक्त कराने के पूर्व विधिवत म.प्र.नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण एवं निबंधन तथा शर्त) नियम 1998 अनुसार प्रक्रिया पूर्ण होने पश्चात ही भूखण्ड मुक्त किये जा सकेगे।
 - कालोनाईजर द्वारा बंधक रखे गये भूखण्ड व अन्य समस्त भूखण्डों की नक्शरींग तथा प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल ले-आउट सहित प्रदर्शित करना होगा।
 - कालोनी का बाह्य विकास नगर निगम के तकनीकी मार्गदर्शन में कालोनाईजर को करना होगा तथा बाह्य विकास में कालोनी से लगे तथा पहुँच मार्ग को बाधित नही करेगे।
 - कालोनी की बांडूरीवाल से वर्षा जल की निकासी हेतु समुचित व्यवस्था करनी होगी।
 - आपके द्वारा निगम में जमा किये गये शुल्क की गणना में भविष्य में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।
 - म.प्र.भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) भोपाल में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
- संलग्न:- संशोधित अनुमान पत्रक

पृष्ठा.क्र.-जनकार्य एवं उद्यान/कालोनी/ (19)48/2024
प्रतिलिपि :-

- 1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ ।
- 2 जिला पंजीयक खण्डवा की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, खण्डवा
खण्डवा, दिनांक 07/05/2024

आयुक्त
नगर पालिक निगम, खण्डवा



कार्यालय नगर पालिक निगम खण्डवा

क्रमांक / ज.का.उ.वि / कालोनी / 2025 / 85

खण्डवा, दिनांक 29/08/2025

प्रति

तहसीलदार
तहसील-खण्डवा

विषय :- बुरहानपुर रोड़ पर आबना नदी क्षेत्र केचमेंट एरिया तथा वृक्षारोपण एरिया मे कालोनी निर्माण के संबंध मे।

संदर्भ :- कार्यालय कलेक्टर से प्राप्त टी एल क्रमांक 519681 दिनांक 12/05/2025/ एवं दिनांक 16/07/2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मे.कावेरी एक्साईल प्रा.लि. कालोनाईजर तर्फे श्री सत्यनारायण माहेश्वरी गुलमोहर कालोनी फेस-2 खसरा क्रमांक 885 परिवर्तित भूमि शीट नंबर 33 प्लाट नंबर 02 रकबा 1.215 हे. अर्थात 12150 वर्गमीटर भूमि पर नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय जिला खण्डवा द्वारा आवासीय भूखण्डीय कालोनी प्रायोजनार्थ अनुज्ञा क्रमांक 1364 दिनांक 31/12/2020 एवं मानचित्र स्वीकृत किया गया है जिसके आधार पर इस कार्यालय द्वारा संबंधित कालोनी को विकास अनुमति जारी की गई। संबंधित कालोनाईजर द्वारा नदी के समीप कालोनी का निर्माण किया जा रहा है।


अतः उपरोक्त भूमि का सीमांकन कराये जाने हेतु क्षेत्रीय पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को निर्देशित करने का कष्ट करे। ताकि टी.एल. शिकायत का निराकरण किया जा सके।

कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम खण्डवा

प्रतिलिपि:-

✓ कलेक्टर महोदय खण्डवा की ओर सादर सूचनार्थ।

कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम खण्डवा



कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय खण्डवा एवं बुरहानपुर म.प्र.

तहसील कार्यालय के बालू में, सिविल लाइन (कलेक्टर परिसर) खण्डवा - 450001

E-mail - khandwa@mptownplan.gov.in



क्रमांक /
पति

/22-एल.ओ/नगानि/2020/2025

खण्डवा, दिनांक /09/2025

आवेदक मेसर्स कावेरी एक्स आईल प्रा.लि. खण्डवा,
डायरेक्टर सत्यनारायण माहेश्वरी पिता श्री हरिकिशन माहेश्वरी,
निवासी 29, रामकृष्णगंज खण्डवा जिला खण्डवा मध्यप्रदेश।

विषय :-

ग्राम खण्डवा तरफ कुन्ची तहसील खण्डवा जिला खण्डवा की भूमि खसरा क्रमांक 885 परिवर्तित भूमि शीट नं. 33 प्लॉट नं. 2 रकबा 1.20 हेक्टेयर पर स्वीकृत अभिन्यास के संबंध में।

- संदर्भ :-
1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1359-1364/22-एल.ओ/नगानि/2020 खण्डवा दिनांक 31/12/2020 एवं 417 दिनांक 23/08/2024।
 2. एन.जी.टी भोपाल द्वारा प्रेषित प्रकरण क्रमांक 128/2025।
 3. कार्यालय कलेक्टर खण्डवा का टी.एल क्रमांक 519681 दिनांक 12/05/2025 एवं 16/07/2025।
 4. समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर एवं प्राप्त शिकायत।

—00—

उपरोक्त विषयातिर्गत लेख है कि मेसर्स कावेरी एक्स आईल प्रा.लि. को ग्राम खण्डवा तरफ कुन्ची तहसील खण्डवा जिला खण्डवा की भूमि खसरा क्रमांक 885 परिवर्तित भूमि शीट नं. 33 प्लॉट नं. 2 रकबा 1.20 हेक्टेयर भूमि पर मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29(1) के तहत आवासीय नू-खण्डीय कालोनी उपयोग हेतु संदर्भित कार्यालयीन पत्र द्वारा विकास अनुज्ञा जारी की गई थी।

विभिन्न समाचार पत्रों प्राप्त जनशिकायतों एवं एन.जी.टी. से प्राप्त पत्र से संज्ञान में आया है कि खंडवा-बुरहानपुर रोड पर आपके द्वारा आबना नदी क्षेत्र में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50(ख) का उल्लंघन करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है।

तथ्यों के परीक्षण उपरांत यह ज्ञात हुआ है कि ग्राम खण्डवा तरफ कुन्ची तहसील खण्डवा जिला खण्डवा की भूमि खसरा क्रमांक 885 परिवर्तित भूमि शीट नं. 33 प्लॉट नं. 2 रकबा 1.215 हेक्टेयर पर अभिन्यास स्वीकृत हेतु प्रस्तुत आवेदन में प्रश्नाधीन भूमि के स्थल निरीक्षण के दौरान आवेदक/भूमि स्वामी/अधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की चतुर्सीमा गलत बताई गई। प्रश्नाधीन भूमि की पूर्व दिशा में रिक्त भूमि बताई गई है जबकि राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार उक्त दिशा में आबना नदी स्थित है जिससे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50(ख) का उल्लंघन करते हुए नदी के उच्चतम जल स्तर से 15.0 मीटर भूमि खुले के रूप में आरक्षित उक्त भूमि का अवैध तरीके से अनुचित लाभ लिया गया है। आपके द्वारा भूमि की दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित भूमि के भाग को पयूचर प्लॉनिंग हेतु आरक्षित रखना बताया गया है मौके पर नदी से लगकर निर्माण कार्य गया है जबकि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50(ख) के अनुसार नदी के उच्चतम जल स्तर से 15.0 मीटर तक भूमि खुले क्षेत्र के

157
नगरपालिका नगर पालिका निगम, खण्डवा
जावक क्रमांक 5030
दिनांक 06.10.25

अंतर्गत आरक्षित रखना अनिवार्य होता है इस प्रकार आपके द्वारा किया गया कार्य स्वीकृत अभिन्यास के विपरीत होकर अवैध कार्य को दर्शाता है।

आपके द्वारा विकास अनुज्ञा प्राप्त करने के दौरान प्रासंगिक एवं अनिवार्य जानकारी को छुपाया गया तथा कार्यालय को गुमराह किया है। आपके द्वारा वर्ष 2023 में आवेदन प्रस्तुत कर स्वीकृत अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष बढ़वाई गई थी एवं उसके पश्चात भी निर्माण कार्य नहीं होने से अधिनियम की धारा 29(1) के तहत पुनः अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु दिनांक 15/04/2024 को ऑनलाइन प्रकरण क्रमांक KDWLP08042408103 द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें जी.आई.एस अवलोकन उपरांत नदी से निश्चित दूरी का पालन नहीं करने से प्रकरण दिनांक 30/04/2024 को निरस्त किया गया है। अतः मध्य प्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 तथा म.प्र. भू-विकास नियम 2012 के नियम 25 के अंतर्गत आपके विरुद्ध विकास अनुज्ञा के प्रतिसंहरण (Revocation) की कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। विकास अनुज्ञा के प्रतिसंहरण के पूर्व, आपको 07 दिवस की अवधि में स्वयं उपस्थित होकर या लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। निर्धारित समयावधि में यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह मान लिया जाएगा कि आपको इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है तथा अनुज्ञा प्रतिसंहरण कर दी जाएगी।

जब तक जाँच विषय में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1359-1364/22-एल.ओ./नग्रानि/2020 दिनांक 31/12/2020 के माध्यम से जारी विकास अनुज्ञा अस्थायी रूप से स्थगित की जाती है। अतः उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, क्रय-विक्रय, प्लॉटिंग आदि निषिद्ध रहेगा।

(कविता नागर)

उप संचालक (प्र)

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला खण्डवा एवं बुरहानपुर म.प्र.

खण्डवा, दिनांक 30/09/2025

पृ.क्रमांक/426/22-एल.ओ./नग्रानि/2020/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला खण्डवा की और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. आयुक्त नगर पालिका निगम, खण्डवा जिला खण्डवा की ओर पत्र क्रमांक 83/ज.का.उ.वि./कालोनी/2025 खण्डवा दिनांक 29/08/2025 के परिपेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खण्डवा जिला खण्डवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. अधीक्षण यंत्री म.प्र.विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड खण्डवा जिला खण्डवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. जिला पंजीयक स्टाम्प खण्डवा जिला खण्डवा की ओर स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(कविता नागर)

उप संचालक (प्र)

नगर तथा ग्राम निवेश

जिला खण्डवा एवं बुरहानपुर म.प्र.



कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा

क्रमांक/ज.का.उ.वि/कालोनी/2025/

खण्डवा, दिनांक 06/10/2025



मेसर्स कावेरी एक्स आईल प्रा.लि.खण्डवा,
डायरेक्टर सत्यनारायण माहेश्वरी पिता श्री हरिकिशन माहेश्वरी
निवासी-29 रामकृणगंज खण्डवा

विषय :- ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी तहसील खण्डवा जिला खण्डवा की भूमि खसरा
क्रमांक 885 परिवर्तित भूमि शीट नंबर 33 प्लॉट नंबर.2 रकबा 1.20
हेक्टेयर भूमि पर कालोनी विकास अनुमति के संबंध में।

संदर्भ :- कार्यालय उपसंचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश ,जिला कार्यालय खण्डवा एवं
बुरहानपुर म.प्र. के पत्र क्रमांक/426/22-एल.
ओ/नगानि/2020/2025/खण्डवा दिनांक 30/09/2025

---0000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध लेख है कि कालोनाईजर
मेसर्स कावेरी एक्स आईल प्रा.लि. तर्फे श्री सत्यनारायण माहेश्वरी पिता श्री हरिकिशन
माहेश्वरी निवासी-29 रामकृणगंज खण्डवा एवं भूमि स्वामी मेसर्स कावेरी एक्स आईल
प्रा.लि. तर्फे श्री सत्यनारायण माहेश्वरी पिता श्री हरिकिशन माहेश्वरी निवासी-29
रामकृणगंज खण्डवा ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी तहसील खण्डवा जिला खण्डवा भूमि
खसरा क्रमांक 885 परिवर्तित भूमि शीट नंबर 33 प्लॉट नंबर.2 रकबा 1.20
हेक्टेयर भूमि पर कार्यालय उपसंचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश ,जिला कार्यालय
खण्डवा एवं बुरहानपुर म.प्र. के पत्र क्रमांक/1359-1364/22-एल.ओ/नगानि/2020
खण्डवा दिनांक 31/12/2020 एवं 417 दिनांक 23/08/2024 के द्वारा जारी
विकास अनुज्ञा को प्रतिसंहरण करने की कार्यवाही प्रस्तावित कर , जारी विकास अनुज्ञा
को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है।

अतःउपरोक्त पत्र के क्रम में आपके विरुद्ध इस कार्यालय द्वारा जारी विकास
अनुमति क्रमांक 49/48 दिनांक 07/05/2024 को मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम
2012 के नियम 25 के अंतर्गत कालोनी विकास अनुमति के प्रतिसंहरण
(Revocation) की कार्यवाही प्रस्तावित कि जा रही है कालोनी विकास अनुमति के
प्रतिसंहरण के पूर्व आपको 07 दिवस की अवधि में स्वयं उपस्थित होकर या लिखित
में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है निर्धारित
समयावधि में यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है ,तो यह मान लिया जाएगा कि
आपको इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है तथा कालोनी विकास अनुमति प्रतिसंहरण
कर दी जाएगी।

जब तक जॉच विषय मे अंतिम निर्णय नही लिया जाता तब तक इस इस कार्यालय द्वारा जारी कालोनी विकास अनुमति क्रमांक 49/48 दिनांक 07/05/2024 अस्थायी रूप से स्थगित की जाती है। अतः उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण ,कय-विकय ,प्लार्टिंग आदि निषिद्ध रहेगा।

[Handwritten Signature]

आयुक्त ,
नगर पालिक निगम, खण्डवा

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला खण्डवा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व खण्डवा की ओर सूचनार्थ।
3. उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ।
4. जिला पंजीयक स्टॉप कार्यालय खण्डवा की ओर सूचनार्थ।

[Handwritten Signature]

आयुक्त ,
नगर पालिक निगम, खण्डवा

(2)

[Handwritten Signature]

18/10/25

आयुक्त लिपिक
एस.डी.एम. कार्यालय
खण्डवा (म.प्र.)

Received

Am

15/10/2025

[Handwritten Signature]
76/10/25

नगरपालिका कलेक्टर, खण्डवा
नाचक प्रमाणिका
दिनांक



[Handwritten Signature]
16/10/25



कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा

कमांक/ज.का.उ.वि/कालोनी/2025/10/

खण्डवा, दिनांक/3/10/2025



सूचना पत्र

मेसर्स कावेरी एक्सआईल प्रा.लि.खण्डवा,
डायरेक्टर सत्यनारायण माहेश्वरी पिता श्रीहरिकिशन माहेश्वरी
निवासी-29 रामकृणगंज खण्डवा

विषय :- नदी के केचमेंट एरिया मे बनायी गई दीवार को हटये जाने बाबत।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र कमांक /ज.का.उ.वि/कालोनी/2025/100खण्डवा दिनांक

06/10/2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत कालोनाईजर मेसर्स कावेरी एक्स आईल प्रा.लि. तर्फे श्री सत्यनारायण माहेश्वरी पिता श्री हरिकिशन माहेश्वरी निवासी-29 रामकृणगंज खण्डवा एवं भूमिस्वामी मेसर्स कावेरी एक्स आईल प्रा.लि. तर्फे श्री सत्यनारायण माहेश्वरी पिता श्री हरिकिशन माहेश्वरी निवासी-29 रामकृणगंज खण्डवा ग्राम खण्डवा तरफ कुब्बी तहसील खण्डवा जिला खण्डवा भूमि खसरा कमांक 885 परिवर्तित भूमि शीटनंबर 33 प्लॉट नंबर.2 रकबा 1.20 हेक्टेयर भूमि पर कालोनी विकास कार्य किए जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी कालोनी विकास अनुमति को प्रतिसंरक्षण करने की कार्यवाही प्रस्तावित कर ,जारी विकास अनुज्ञा को अस्थायी रूप से संदर्भित पत्र के द्वारा स्थगित कर दिया गया है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा उपरोक्त भूमि पर किये जा रहे विकास कार्य को तत्काल बंद कर ,नदी के केचमेंट एरिया मे नियमों के विपरित बनाई गई दीवार को अपने स्वयं के व्यय से 03 दिवस की अवधि मे हटा लेवे अन्यथा कि स्थिति मे निगम प्रशासन द्वारा उक्त दीवार हटायी जावेगी। जिसमे लगने वाला समस्त खर्च आपसे वसूली योग्य होगा। सूचना जाने ।


आयुक्त ,

नगर पालिक निगम, खण्डवा

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला खण्डवा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व खण्डवा की ओर सूचनार्थ।
3. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ।


OIC


आयुक्त ,

नगरपालिकनिगम, खण्डवा

आज
15/10/2025

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा
जावक क्रमांक _____
दिनांक _____


आयुक्त, नगरपालिकनिगम, खण्डवा





कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा

क्रमांक/ज.का.उ.वि/कालोनी/2025/111

खण्डवा, दिनांक 07/11/2025

प्रति,

✓ क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
इन्दौर

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 128/2025 (CZ) (अब्दुल रहमान बांठिया विरुद्ध म.प्र.शारान व अन्य) मे दिनांक 17.09.2025 को पारित आदेश के अनुपालन मे।

संदर्भ :- क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पत्र क्रमांक 3529/क्षेकाई/2025, इन्दौर दिनांक 23/10/2025

—00—

विषयान्तर्गत प्रचलित प्रकरण में संदर्भित पत्र के अनुक्रम में उल्लेखनीय है की नगर पालिक निगम खंडवा के पत्र क्रमांक ज.का.उ.वि/कालोनी/2025/101 खंडवा, दिनांक 13/10/2025, के विरुद्ध कॉलोनाईज़र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में याचिका क्रमांक WP/42023/2025 M/S कावेरी एक्स ऑयल प्राइवेट लिमिटेड खंडवा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य प्रस्तुत की गई है। याचिका में दिनांक 30.10.2025 को पारित अंतरिम आदेश का क्रियांवित किया जाने वाला अंश निम्नानुसार है -

"Considering the aforesaid and the threat pointed out by the petitioner's counsel, no coercive action in pursuance to the impugned notice be taken against the petitioner, till the next date of hearing. List the matter in the next week for consideration."

उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति आपकी ओर संलग्नक सहित प्रेषित है।
संलग्न उपरोक्तानुसार :-

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय, जिला खण्डवा की ओर सादर सूचनार्थ।
2. उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश खण्डवा।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खण्डवा।

उपायुक्त
नगर पालिक निगम खण्डवा

उपायुक्त
नगर पालिक निगम खण्डवा

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR
WP No. 42023 of 2025

(MS KAVIRI EX OIL PRIVATE LIMITED Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS)

Dated : 30-10-2025

Shri Avinash Zargar - Advocate for the petitioner.

Shri Aakash Malpani - Panel Lawyer for the respondents/State.

Issue notice to the respondent No.1 on payment of process fee within seven working days by RAD mode.

Let a copy of the petition along with annexures be served to Shri Prakash Gupta, Advocate who normally appears for the respondents No.2 and 3 to enable him to seek instructions in the matter.

Counsel appearing for the petitioner has shown threat of demolition of the construction raised by him after getting permission from the concerning authorities.

Considering the aforesaid and the threat pointed out by the petitioner's counsel, no coercive action in pursuance to the impugned notice be taken against the petitioner, till the next date of hearing.

List the matter in the next week for consideration.

Office is directed to reflect the name of Shri Prakash Gupta, Advocate as counsel for the respondents No.2 and 3 in the cause-list.

Certified copy as per rules.

(VISHAL MISHRA)
JUDGE

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खण्डवा

क्रमांक-क/वाचक-1/2025/५५७७
प्रति,

खण्डवा, दिनांक 10.11.2025

क्षेत्रीय अधिकारी

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रकरण क्रमांक 128/2025 (सी झेड) (अब्दुल रहमान वंठिया विरुद्ध मध्य प्रदेशशासन व अन्य) मे दिनांक 17.09.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में।

संदर्भ :- आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3455/क्षेकाई/2025 दिनांक 13.10.2025

-000-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।


विषयांतर्गत जांच रिपोर्ट तहसीलदार खण्डवा (नगर) से प्राप्त की गई।

प्रश्नाधिन भूमि ग्राम खंडवा तरफ कुंवी की भूमि खसरा नंबर 885/1/2 क्षेत्रफल 1.20 हे परिवर्तित भूमि होकर शीट नंबर 33 प्लॉट नंबर 02 क्षेत्रफल 130680 वर्गफीट मेसर्स कावेरी एक्स आइल प्रा. लि. खंडवा डायरेक्टर सत्यानारायण पिता हरिकिशन माहेश्वरी निवासी रामगंज खंडवा के नाम दर्ज है तथा पटवारी खसरे अनुसार खसरा नंबर 885/1/1 क्षेत्रफल 8.3870 हे. जय भारत उद्योग भागीदार राजेश पिता मदनलाल वगैरा के नाम दर्ज है तथा खसरा नंबर 885/1/2, क्षेत्रफल 1.2000 हे. मेसर्स कावेरी एक्स आइल प्रा. लि. खंडवा डायरेक्टर सत्यानारायण पिता हरिकिशन माहेश्वरी के नाम दर्ज है एवं खसरा नंबर 885/2, क्षेत्रफल 0.405 हे. जय भारत उद्योग भागीदार हस्तीमल पिता जेठामल वगैरा के नाम दर्ज है।

प्रश्नाधिन भूमि 3 एकड नगर ग्राम निवेश के स्वीकृत प्लान दिनांक 27.07.1992 के अनुसार गुलमोहर कॉलोनी का आरक्षित स्लम एरिया 4.16 एकड का पैका भाग है जो मेसर्स कावेरी एक्स आइल प्रा. लि. खंडवा डायरेक्टर सत्यानारायण पिता हरिकिशन माहेश्वरी खंडवा के द्वारा रजिस्ट्री दिनांक 15.09.2009 के द्वारा कय की गई है। उक्त कय की गई भूमि रजिस्ट्री अनुसार खसरा नंबर 885 का पैकी भाग होकर इस की चतुर सीमा में दक्षिण में खसरा नंबर 885 पैकी शेष जमीन है, उत्तर में गुलमोहर कॉलोनी सेक्टर 3, पूर्व में नदी, पश्चिम में शासकीय भूमि होना दर्शाया है।

प्रश्नाधिन भूमि खसरा नंबर 885/1/2 गुलमोहर कॉलोनी के स्लम एरिया 3.000 एकड में मौके पर किया गया निर्माण खसरा नंबर 885/1/2 की सीमा में होना पाया गया। ऑनलाईन नक्शे अनुसार प्रश्नाधिन भूमि के दक्षिण में खसरा नंबर 885/2 लगा है, जो जय भारत उद्योग के नाम है, पश्चात नदी (शासकीय) है तथा दक्षिण में कुछ हिस्से में नदी है, उत्तर में पूर्व विकसित गुलमोहर कॉलोनी सेक्टर-3 है। उक्त प्रश्नाधिन भूमि त्रिभुजाकर स्थिति में है।

तहसीलदार खण्डवा (नगर) प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 04.11.2025, पटवारी रिपोर्ट, खसरा नक्शा सहित सहित मूलतः आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।



(ऋषि कुमार सिंघई)
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) खण्डवा

खण्डवा (न.प्र.)
खण्डवा, दिनांक 10.11.2025

क्रमांक-क/वाचक-1/2025/५५७७

प्रतिलिपि :-

1-कलेक्टर महोदय जिला खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) खण्डवा
अनुविभागीय अधिकारी
खण्डवा (न.प्र.)

—:: कार्यालय तहसीलदार तहसीलदार खंडवा नगर जिला खंडवा ::-
खंडवा दिनांक 04/10/2025
क्रमांक/री. ग्रामीण/2025/ 317
प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी
खंडवा म.प्र.


विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल वेंच के प्रकरण क्रमांक 128/2025 (सीझेड)
(अब्दुल रहमान वंठिया विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में दिनांक 17.09.2025 को पारित
आदेश के अनुपालन में।
संदर्भ:-क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजय नगर इंदौर का पत्र क्रमांक
3455/क्षेकाई/2025 इंदौर दिनांक 13.10.2025

—000—

उपरोक्त विषय में संदर्भित द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल वेंच के प्रकरण
क्रमांक 128/2025 (सीझेड) (अब्दुल रहमान वंठिया विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) की पीटीशन
कॉपी संलग्न कर प्रतिवेदन चाहा गया है। पटवारी ग्राम खंडवा तरफ, कुनवी से निम्नानुसार
बिन्दुवार जाच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है:-

01. प्रश्नाधिन भूमि ग्राम खंडवा तरफ कुनवी की भूमि खसरा नंबर 885/1/2 क्षेत्रफल 1.20
हे. परिवर्तित भूमि होकर शीट नंबर 33 प्लॉट नंबर 02 क्षेत्रफल 130680 वर्गफीट मेसर्स कावेरी
एक्स आइल प्रा. लि. खंडवा डायरेक्टर सत्यानारायण पिता हरिकिशन माहेश्वरी निवासी रामगंज
खंडवा के नाम दर्ज है तथा पटवारी खसरे अनुसार खसरा नंबर 885/1/1 क्षेत्रफल 8.3870 हे.
जय भारत उद्योग भागीदार राजेश पिता मदनलाल वगैरा के नाम दर्ज है तथा खसरा नंबर
885/1/2, क्षेत्रफल 1.2000 हे. मेसर्स कावेरी एक्स आइल प्रा. लि. खंडवा डायरेक्टर
सत्यानारायण पिता हरिकिशन माहेश्वरी के नाम दर्ज है एवं खसरा नंबर 885/2, क्षेत्रफल 0.405
हे. जय भारत उद्योग भागीदार हस्तीमल पिता जेटामल वगैरा के नाम दर्ज है।
02. प्रश्नाधिन भूमि 3 एकड़ नगर ग्राम निवेश के स्वीकृत प्लान दिनांक 27.07.1992 के
अनुसार गुलमोहर कॉलोनी का आरक्षित स्लम एरिया 4.16 एकड़ का पैका भाग है जो मेसर्स
कावेरी एक्स आइल प्रा. लि. खंडवा डायरेक्टर सत्यानारायण पिता हरिकिशन माहेश्वरी खंडवा के
द्वारा रजिस्ट्री दिनांक 15.09.2009 के द्वारा क्रय की गई है। उक्त क्रय की गई भूमि रजिस्ट्री
अनुसार खसरा नंबर 885 का पैकी भाग होकर इस की चतुर सीमा में दक्षिण में खसरा नंबर 885
पैकी शेष जमीन है, उत्तर में गुलमोहर कॉलोनी सेक्टर 3, पूर्व में नदी, पश्चिम में शासकीय भूमि
होना दर्शाया है।
03. प्रश्नाधिन भूमि खसरा नंबर 885/1/2 गुलमोहर कॉलोनी के स्लम एरिया 3.000 एकड़ में
मौके पर किया गया निर्माण खसरा नंबर 885/1/2 की सीमा में होना पाया गया। ऑनलाईन
नक्शे अनुसार प्रश्नाधिन भूमि के दक्षिण में खसरा नंबर 885/2 लगा है, जो जय भारत उद्योग
के नाम है, पश्चात नदी (शासकीय) है तथा दक्षिण में कुछ हिस्से में नदी है, उत्तर में पूर्व
विकसित गुलमोहर कॉलोनी सेक्टर-3 है। उक्त प्रश्नाधिन भूमि त्रिभुजाकर स्थिति में है।
04. प्रतिवेदन श्रीमानजी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- ग्राम पटवारी का प्रतिवेदन संलग्न है।


तहसीलदार
खंडवा नगर

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
खंडवा नगर

द्वारा:- राजस्व निरीक्षक (परिवर्तित) खंडवा तरफ कुंबी

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 128/2025 (सीझेड) (अब्दुल रहमान बंठिया विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में दिनांक 17.09.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में।

संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विजय नगर इंदौर का पत्र क्रमांक 3455/क्षेकाई/2025 इंदौर दिनांक 13.10.2025

—000—

उपरोक्त विषय में संदर्भित द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 128/2025 (सीझेड) (अब्दुल रहमान बंठिया विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) की पीटीशन कॉपी संलग्न कर प्रतिवेदन चाहा गया है। बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

01. प्रश्नाधिन भूमि ग्राम खंडवा तरफ कुंबी की भूमि खसरा नंबर 885/1/2 क्षेत्रफल 1.20 हे. परिवर्तित भूमि होकर शीट नंबर 33 प्लॉट नंबर 02 क्षेत्रफल 130680 वर्गफीट मेसर्स कावेरी एक्स आइल प्रा. लि. खंडवा डायरेक्टर सत्यानारायण पिता हरिकिशन माहेश्वरी निवासी रामगंज खंडवा के नाम दर्ज है तथा पटवारी खसरे अनुसार खसरा नंबर 885/1/1 क्षेत्रफल 8.3870 हे. जय भारत उद्योग भागीदार राजेश पिता मदनलाल वगैरा के नाम दर्ज है तथा खसरा नंबर 885/1/2, क्षेत्रफल 1.2000 हे. मेसर्स कावेरी एक्स आइल प्रा. लि. खंडवा डायरेक्टर सत्यानारायण पिता हरिकिशन माहेश्वरी के नाम दर्ज है एवं खसरा नंबर 885/2, क्षेत्रफल 0.405 हे. जय भारत उद्योग भागीदार हस्तीमल पिता जेटामल वगैरा के नाम दर्ज है।

02. प्रश्नाधिन भूमि 3 एकड नगर ग्राम निवेश के स्वीकृत प्लान दिनांक 27.07.1992 के अनुसार गुलमोहर कॉलोनी का आरक्षित स्लम एरिया 4.16 एकड का पैका भाग है जो मेसर्स कावेरी एक्स आइल प्रा. लि. खंडवा डायरेक्टर सत्यानारायण पिता हरिकिशन माहेश्वरी खंडवा के द्वारा रजिस्ट्री दिनांक 15.09.2009 के द्वारा कय की गई है। उक्त कय की गई भूमि रजिस्ट्री अनुसार खसरा नंबर 885 का पैकी भाग होकर इसकी चतुरसीमा में दक्षिण में खसरा नंबर 885 पैकी शेष जमीन है, उत्तर में गुलमोहर कॉलोनी सेक्टर 3, पूर्व में नदी, पश्चिम में शासकीय भूमि होना दर्शाया है।

03. प्रश्नाधिन भूमि खसरा नंबर 885/1/2 गुलमोहर कॉलोनी के स्लम एरिया 3.000 एकड में मौके पर किया गया निर्माण खसरा नंबर 885/1/2 की सीमा में होना पाया गया। ऑनलाईन नक्शे अनुसार प्रश्नाधिन भूमि के दक्षिण में खसरा नंबर 885/2 लगा है, जो जय भारत उद्योग के नाम है, पश्चात नदी (शासकीय) है तथा दक्षिण में कुछ हिस्से में नदी है, उत्तर में पूर्व विकसित गुलमोहर कॉलोनी सेक्टर 3 है। उक्त प्रश्नाधिन भूमि त्रिभुजाकार रिश्ति में है। केचमेंट एरिया एवं वृक्षारोपण एरिया के संबंध में नगर पालिका निगम एवं नगर एवं ग्राम निवेश से प्रतिवेदन लिया जाना उचित प्रकृत होता है।


प्रतिवेदन होकर श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न:- खसरा, नक्शा एवं परिवर्तित भूमि अभिलेखों की छायाप्रति।

मूलतः
अज्ञेयित

राजस्व निरीक्षक
परिवर्तित भूमि, खंडवा

पटवारी
R. Sincem
P.O.



खोजी दायरे

अधिक

दि. 2025-26

संज्ञा व

दि

दिनांक : 22-04-2025 16:30:55



खंड सं :

885/1/2/S

ग्राम: खडवा तहसिल

क्षेत्र सं. 1/2000 (क्षेत्र)

खंड संख्या तहसिल

श्री. शिवाजी 2/4000.00

समीक्षा सं

शुद्धांक 1/4000 रु

खंड संख्या पूर्व दिशा

0 रु 40 66 80 10012 150m

पुनर्माप: सार्वजनिक आ. प्राधिकरण/सर्वेक्षण/सर्वेक्षण सार्वजनिक विद्या संविधान पर खडवा पूर्व दिशा

नोट: 1. यह खंड का मालिकाना हक...
2. इस खंड का क्षेत्रफल...
3. इस खंड का क्षेत्र संख्या...
4. इस खंड का क्षेत्र संख्या...

(हस्ताक्षर)

प्रत्यक्ष कम्प्यूटरीयत प्र-अभिलेख
प्रणयन (विभाग 6 अधिनियम)
प्रणयन (प्रिण्टिंग)

प्रत्यक्ष प्र-अभिलेख सॉफ्टवेयर (प्र-संश्लेषण तथा प्र-अभिलेख) विभाग 2020



क्र. सं. (S)	प्रकार का प्रमाण (प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण)		प्रमाण (प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण)								
									प्रमाण (प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण)	प्रमाण (प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण)	
53	885/1	1,2000	प्रमाण (प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण)	1							
56	2(S)	प्रमाण (प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण)	प्रमाण (प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण)								
59	1M	प्रमाण (प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण)	प्रमाण (प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण)								
60	3	0	प्रमाण (प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण)								

प्रमाण (प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण/प्रमाण)

Service of JCR in OA No. 128/2025 (CZ) Abdul Rehman Banthiya Vs State of Madhya Pradesh & Ors.

From : Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in> Wed, Nov 12, 2025 12:54 PM
Subject : Service of JCR in OA No. 128/2025 (CZ) Abdul Rehman Banthiya Vs State of Madhya Pradesh & Ors.  1 attachment
To : rehmanbantiya20@gmail.com, dmkhanda dmkhanda <dmkhanda@nic.in>, Deputy Director TCP Khandwa <khandwa@mptownplan.gov.in>, dscmtnl@rediffmail.com
Cc : parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>, harnengt <harnengt@gmail.com>

Madam/Sir

Please find enclosed the Joint Committee Report filed by MPPCB in compliance of order dated 17.09.2025 passed by the Hon'ble NGT (CZ) in OA 128/2025 Abdul Rehman Banthiya Vs State of Madhya Pradesh & Ors. [This mail be considered as proof of service.](#)

Regards
Legal Section
MP PCB

 **JCR in OA No. 128-2025 (CZ) Abdul Rehman Banthiya Vs State of Madhya Pradesh & Ors.pdf**
20 MB
